रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-01092023-248488 CG-DL-E-01092023-248488

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 3697]

नई दिल्ली, शुक्रवार, सितम्बर 1, 2023/भाद्र 10, 1945

No. 3697]

NEW DELHI, FRIDAY, SEPTEMBER 1, 2023/BHADRA 10, 1945

सूचना और प्रसारण मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली. 1 सितंबर. 2023

का.आ. 3858(अ).—जन विश्वास (प्रावधानों का संशोधन) अधिनियम, 2023 (2023 का 18) की धारा 1 की उप-धारा (2) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए, केंद्र सरकार एतद द्वारा 1 सितंबर, 2023 को उस तारीख के रूप में निर्धारित करती है, जिससे उक्त अधिनियम के वे प्रावधान, जहां तक यह चलचित्र अधिनियम, 1952 से संबंधित उक्त अधिनियम की अनुसूची में क्रम संख्या 11 और उसकी प्रविष्टियों से संबंधित है, लागू होंगे।

[फा. सं. एम-11017/3/2022- डीओ (एफसी)-भाग (2)] पृथुल कृमार, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF INFORMATION AND BROADCASTING NOTIFICATION

New Delhi, the 1st September, 2023

S.O. 3858(E).—In exercise of the powers conferred by sub-section (2) of section 1 of the Jan Vishwas (Amendment of Provisions) Act, 2023 (18 of 2023), the Central Government hereby appoints the 1stday of September, 2023 as the date on which the provisions of the said Act, in so far as it relates to serial number 11 and the entries thereto in the Schedule to the said Act, relating to the Cinematograph Act, 1952, shall come into force.

[F. No. M-11017/3/2022-DO(FC)-Part(2)]

PRITHUL KUMAR, Jt. Secy.

5596 GI/2023